न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 86/2019

अनवान : –

1. रामस्वरूप पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमनगढ़ हाल माधोसिधाना तहसील सिरसा हरियाणा
2. मोहनलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमनगढ़ हाल माधोसिधाना तहसील सिरसा हरियाणा
3. इन्द्रा पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमनगढ़ हाल माधोसिधाना तहसील सिरसा हरियाणा
4. सरोज पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमनगढ़ हाल माधोसिधाना तहसील सिरसा हरियाणा।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. रामलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. पूर्णराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

–असल गैरसायलान

3. रामप्रताप
4. शिशपाल
5. आत्माराम
6. सज्जन कुमार
7. शिमला देवी
8. प्रमेश्वरी देवी

} पुत्र व पुत्रीयान श्योचन्द पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर हाल निवासी माधोसिघाना तहसील सिरसा हरियाणा

9. आदराम
10. कृष्ण कुमार
11. रामकुमार
12. हरिसिंह
13. ओमप्रकाश
14. दलीप कुमार
15. कमला देवी
16. कौशल्या देवी
17. विमला
18. रोशनी

} पि0 माता नोरा देवी पुत्री पीथाराम पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील ऐलनाबाद

19. भूपसिंह पि. माता मोहरा पुत्री पीथाराम पत्नि रामजस जाति जाट निवासी भूरट वाला तहसील ऐलनाबाद
20. सुभाष पुत्र चन्द्रमान पुत्र मोहरा पत्री पीथाराम पत्नि रामजस जाति जाट निवासी भूरट वाला तहसील ऐलनाबाद
21. जगदीश पुत्र मोहरा पुत्री पीथाराम पत्नि रामजस जाति जाट निवासी मूरट वाला तहसील ऐलनाबाद
22. फकीरचन्द पुत्र माता मीरा पत्री पीथाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासी भूरट वाला तहसील ऐलनाबाद
23. मानसिंह पुत्र मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
24. अमरसिंह पुत्र मीरा पूत्री पीथाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
25. लाला पुत्र मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
26. संजय पुत्र सुभाष पुत्र [illegible] पत्नि गणपत जाति [illegible] निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

27. सुरेश पुत्र सुभाष पुत्र मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
28. लिलुराम पुत्र नत्थुराम पुत्र मीरा पत्नि गणपत जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
29. कलावती पत्नि मदन पुत्र मीरा पत्नि गणपत जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
30. विक्रम पुत्र मदन पुत्र मीरा पत्नि गणपल जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
31. कमलेश पुत्री मदन पुत्र मीरा पत्नि गणपल जाति जाट निवासी अरनिया वाली तहसील सिरसा हरियाणा
32. जेठी पुत्री पीथाराम पत्नि मनफुल ढ़ाका जाति जाट निवासी रवाई शेरगढ़
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–तरतीबी गैसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के ख0न0 42 की 75 बीघा 5 बिस्वा ख0न0 88 की 30 बीघा 19 बिस्वा कुल 106 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजु पुत्र माना नाड़ा (जाट) खातेदार काश्तकार थे।

उक्त भूमि राजु पुत्र माना ने बजड से अपने अय व परिश्रम व धन से नौतोड की थी। तथा उक्त भूमि पर वे काबिज काश्तकार निर्वधन व निरन्तर तौर से रहे है। रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के साबिका ख0न0 42 मीन व 88 मीन के हाल ख0न0 104, 195 व 266 में तब्दील व पैमुद हो गई रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर में भोमा नाड़ा के चार सन्तान थी जिनमें रूपा, खेता, माना, बीझा उत्पन्न हुवे तथा खेता के पीथा उत्पन हुआ तथा माना के राजु उत्पन्न हुआ पीथा के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण वारिसान है परन्तु राजु पुत्र माना के कोई औलाद नहीं थी। तथा पीथाराम के भानजा जो हरियाणा में चमारखेड़ा में रहते थे लम्बोरिया जाट थे उनमें हुक्मा व रेखा पि. श्यामा लम्बोरिया जाट पीथा के भानजे थे वे भी खसरण्डी आते–जाते रहते थे तथा रेखा पुत्र श्यामा लम्बोरिया जाट ने राजु पुत्र माना का खोलायत बेटा बनकर रहने लगा परन्तु रेखा वल्द श्यामा की लालशा केवल राजु पुत्र माना की कृषि भूमि को हड़प करने की थी रेखा ने राजु पुत्र माना की कभी कोई सेवा नहीं की ना ही राजू के फौत होने पर उसकी पत्नी की कभी कोई सेवा नहीं की यहा तक राजू का दाह संस्कार किया कम समस्त सायल व उनके भाईयों ने ही किया था रेखा राजु का खोलायत पुत्र बनकर कभी नही रहा है। परन्तु फिर भी वाद भूमि रेखा पुत्र श्यामा ने राजु पुत्र माना की भूमि अपने नाम अनुचित व गलत तरीके से दर्ज करवाली रेखा के फौत होने पर गैरसायलान स० 1 व 2 ने अपने नाम तथा वाद भूमि का खाता विभाजन [illegible] लिया वर्तमान में उक्त भूमि हैक्टयर में तब्दील हो गई रोही मौजा खरसण्[illegible] 111 के ख०न० 104 की 6.5750 हैक्ट ख0न0 155 की 0.12[illegible] 2 की 3.5410 हैक्ट ख0न0 266/2 की 2.8830 हैक्ट भूमि कुल 4 खसरेजात की 13.1270 [illegible] भूमि दर्ज करवा ली। जो गैरसायल स०

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 के नाम दर्ज है तथा रोही मोजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 55/52 के ख0न0 195/1 की 3.7180 हैक्ट भूमि व खसरा 266/1 की 9.4080 हैक्ट भूमि कुल 13.1260 हैक्ट भूमि गैरसायल स० 2 ने अपने नाम दर्ज करवा ली उक्त इन्द्राजात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकुक के खिलाफ व बैजा है गैरासयलान स० 1 व 2 का वाद भूमि में कोई हक नहीं है। गैरसायलान स० 1 व 2 ने गैरकानुनी ढ़ग से गलत तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली है। सायल गैरसायलान स0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर दोनो खातेजात की 26.253 हैक्ट भूमि में सायल 1/6 हिस्सा व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स० 3 ता 8 ब.हि.ब सयुक्ततः 1/6 हिस्सा के व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण 9 ता 18 ब.हि.ब. सयुक्ततः 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तथा दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 19 व 20 व 21 ब.हि.ब सयुक्ततः 1/6 हिस्सा के व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण 22 ता 25 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण 26 ता 27 सयुक्त व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स० 28 ता 29 व ता १ प.हि.ब. सयुक्तत 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी स० 32 का 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान स० 1 व 2 का राजस्व रिकार्ड से नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार हक व हिस्से के दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है।

सम्बत 1982 से सम्बत 1998 तक वाद भूमि पर खुद राजु पुत्र माना का कब्जा काश्त रेकार्ड ठिकाना में दर्ज रहा है। तथा सन् 1946 में रेखा ने तात्कालिकालिन ठिकाना मुखिया को इकरारनामा लिखवाकर दिया कि राजु की बहु मुझे खोला लेना नहीं चाहती है इसलिए मैं यह जमीन वगैरह छोड़ता हूँ। उक्त इकरारनामा स्वंय रेखा के द्वारा सन् 1946 सम्बत 2003 में तहरीर करदा है तथा खुद रेखा ने सम्बत 2003 में गोद पुत्र होने का अधिकार सरैण्डर कर दिया अर्थात खुद को गोद पुत्र नहीं माना तथा वास्तविकता में कोई खोलानामा तस्दीक नहीं हुआ। ना ही रेखा को कभी खोले लिया गया है। केवल भूमि हडपने करने के उददेश्य से रेखा ने राजू के खोलानामा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर तथा राजु की बहु ने कभी भी रेखा को खोलायत पुत्र नही माना तथा कब्जा काश्त वाद भूमि पर रेखा की बहु का था तथा किसी खातेदार काश्तकार का नाम ए.एस.ओ. को तब्दील करने का व राजु का नाम हटाकर रेखा का नाम दर्ज करने बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों को क्षेत्राधिकार हासिल नही था। सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण पीथा पुत्र रूपा के वारिसान है तथा राजु पुत्र माना के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है तथा खेता, माना बीझा व खेता व बीझा बेओलाद फौत हुवे तथा माना पुत्र भोमा के राजु हुवा राजु के कोई औलाद नही हुई अर्थात सायल का राजु चाचा है तथा उसके हक व हिस्से की भूमि के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण ही उतराधिकारी है वादी के पूर्वज नाड़ा जाट है गैरसायलान स० 1 व 2 लम्बोरिया है राजु पुत्र माना की भूमि में गैरसायलान स० 1 व 2 अथवा उनके पिता रेखा पुत्र श्यामा का कोई हक व हिस्सा नही है। गैरसायलान स० 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्रजात अनुचित व गलत तरीके से दर्ज है जिसे सायल कलमजन करवाकर सायल 1/6 हिस्सा व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स० 3 ता 8 का ब.हि.ब 1/6 हिस्सा दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स० 9 ता 18 सयुक्ततः 1/6 हिस्सा के व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण [illegible] ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा के व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी 22 ता 25 व दा[illegible] 27 का सयुक्त व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी स० 28 [illegible] प्रतिवादी स. 29 ता 31 सयुक्ततः का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। दावा में द[illegible] तरतीबी प्रतिवादी स0 32 का 1/6 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आश्यों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायलान स० 1व 2 के नाम कतई गलत व अनुचित दर्ज है गैरसायलान स० 1 व 2 का पिता रेखा कभी भी राजु का खोलायत पुत्र नही रहा उन्होने राजु पुत्र माना की भूमि कतई गलत तौर से दर्ज करवा रखी है जो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकुक के खिलाफ व बैजा है गैरसायलान स० 1 व 2 ने उक्त भूमि को अन्यत्र रहन / बैय करने व खुर्द बुर्द करने के उददेश्य से ग्राहक तलाशने शुरू कर दिये है तथा उक्त ग्राहक वाद भूमि की सींव के चारो और चक्कर लगा रहे है वाद भूमि अन्यत्र रहन / बैय व फरोख्त हो जाती है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए वाद भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशयों की जारी करवापाने का मजाज है कि गैरसायलान स० 1 व 2 वाद भूमि अन्यत्र रहन वैय व फरोख्त करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का पेश किया की कुर्सीनामा बवजह गलत ब्यानी होने व वाद भूमि में इस कुर्सीनामा का कोई सरोकार नही होने के कारण कतई स्वीकार नहीं है क्योंकि भोमाराम कौन था कहा का रहने वाला था कतई स्पष्ट नहीं है और यह भोमाराम कब मरा कब हरियाणा के गावं माधोसिघाना जिला सिरसा में आबाद हुआ तथा गांव खरसण्डी में कब आबाद रहा या नहीं कतई स्पष्ट नही है तथा ना ही माना, भोमाराम का पुत्र था। यह भूमि राजू से हम गैरसायलान को प्राप्त हुई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व से बीकानेर रियासत के समय से ही हमारे पिता रेखा के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है तथा हमारे ही कब्जा काश्त में लगातार रही है सायल क वाद भूमि से कोई सरोकार ही नहीं है। ना तो रोही मौजा खरसण्डी में भौमा नाड़ा था और ना ही उसके रूपा, खेता, माना, बीझा, नाम के कोई लड़के खरसण्डी की रोही में व गांव में पैदा हुऐ क्योंकि सायल को खुद को ही पता नहीं है कि खेता के पिथाराम पैदा हुआ या रूपा के पीथाराम हुआ अपने दावा व दरख्वास्त में अलग–अलग वल्दीयत दर्ज कर रखी है राजू कतई लाऔलाद फौत नही हुआ उसके रेखा गैरसायल का पिता खोलायत पुत्र था। सम्बत 2001 से ही काफी समय पूर्व से राजू की तिथ पर कायम था और लगतार उसकी मृत्यु तक रहा तथा इस बात को सायल ने इस मद में स्वीकार किया है वाद भूमि कानून सही रेखा पिता गैरासयलान के नाम से दर्ज हुई तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार सम्बत 2001 से पूर्व से ही वाद भूमि उसके नाम से व कब्जा काश्त में चली आ रही है। तथा अब भी राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि हमारे नाम से सही दर्ज है। तथा सायल का व उसके दिगर अन्य भाई बन्धु तरतीबी प्रतिवादीगण का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा किसी कानून व नियम के तहत नहीं है और ना ही कभी भी इनका वाद भूमि पर आज तक कब्जा रहा है तथा सायल ना तो धारा 212 के प्रार्थना पत्र में कोई घोषणा करवाने का अधिकारी है और ना ही अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी दरख्वास्त सायल व वाद काबिल खारीज के है व खारीज फरमाया जावे। यह भूमि हिठाना के समय राजू के नाम होगी जो आराजी काश्त थी तथा किसी ए.एस.ओ. द्वारा जमाबन्दी में नाम परिवर्तित नहीं किया गया बल्की राजू की मृत्यु के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हु[illegible] यह भूमि गैरसायलान के पिता रेखा के कब्जा काश्त में थी और नियमानु[illegible] की गयी है, ना कि किसी बदोबस्त अधिकारी द्वारा इसलिए [illegible] ल खारीज किया जावे। रूपा, खेता व बीझा, माना, के भाई ही नहीं थे तथा उस सम[illegible] उतराधिकारी अधिनियम व राजस्थान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिनियम के प्रावधान लागु नही थे उस समय यानि सम्बत 2003 व सन् 1946 में बीकानेर काश्तकारी अधिनियम लागु था और उसके अनुसार कोई व्यक्ति लाऔलाद फौत हो जाता है तो वह जमीन राज सात हो जाती थी, और उसके काश्तकारी हक समाप्त हो जाते थे तथा ठीकानेदार दुसरे काश्तकार को लगान के बदले काश्त करने के लिए दे देता था तो उस समय हम गैरसायलान प्रतिवादी के पिता रेखा को यह भूमि दे दी गयी थी और उसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 जो सम्बत 2012 से लागु हुआ उसके प्रावधानों के तहत रेखा को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया इसलिए वादी/सायल का दावा मेन्टबेल नही है तथा सायल/वादी वाद भूमि के सम्बंध में कोई घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। सायल गांव खरसण्डी का कभी भी निवासी ही नहीं रहा और ना ही वह वाद भूमि को जानता है अर्सा करीब 80 वर्षो से यह भूमि हमारे कब्जा काश्त में है और ना ही भूमि को बैचान करने का ईरादा है सायल का जन्म ही गावं माधोसिधाना तहसील व जिला सिरसा हरियाणा में हुआ था और हमेशा से वही परिवार सहित रहता है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामलाल व पूर्णराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि भोमाराम के चार वारिस रूपा, खेता, माना व बिझा हुए एवं माना के राजू हुआ एवं राजू के कोई औलाद नही थी हुक्मा व रेखा पुत्र श्यामा जो की पीथाराम के भानजा थे रेखा, राजु पुत्र माना का खोलायत बेटा बनकर रहने लगा जबकि राजू ने उसको खोलायल नही लिया था रेखा पुत्र श्यामा ने राजु पुत्र श्यामा के नाम दर्ज भूमि को अनुचित तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली और रेखा के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी जो की अनुचित तरीके से गलत दर्ज हुई है।

अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के पिता रेखा के नाम भूमि सही दर्ज हुई है। रेखा राजू के पास रहता था राजु की मृत्यु के बाद गैरसायलान के पिता के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हुआ तब गैरसायलान के कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी दर्ज हुई। पा, खेता व बीझा, माना, के भाई ही नहीं थे तथा उस समय उतराधिकारी अधिनियम व राजस्थान का अधिनियम के प्रावधान लागु नही थे उस समय यानि सम्बत 2003 व सन् 1946 में बीकानेर काश्तकारी अधिनियम लागु था और उसके अनुसार कोई व्यक्ति लाऔलाद फौत हो जाता है तो वह जमीन राज सात हो जाती थी, और उसके काश्तकारी हक समाप्त हो जाते थे तथा ठीकानेदार दुसरे काश्तकार को लगान के बदले काश्त करने के लिए दे देता था तो उस समय हम गैरसायलान प्रतिवादी के पिता रेखा को यह भूमि दे दी गयी थी और उसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 जो सम्बत 2012 से लागु हुआ उसके प्रावधानों के तहत रेखा को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया इसलिए वादी/सायल का दावा मेन्टबेल नही है तथा सायल/वादी वाद भूमि के सम्बंध में कोई घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। सायल गांव खरसण्डी का कभी भी निवासी ही नहीं रहा और ना ही वह वाद भूमि को जानता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्सा करीब 80 वर्षों से यह भूमि हमारे कब्जा काश्त में है और ना ही भूमि को बैचान करने का ईरादा है सायल का जन्म ही गावं माधोसिधाना तहसील व जिला सिरसा हरियाणा में हुआ था और हमेशा से वही परिवार सहित रहता है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेखा के वारिसान अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज है सम्वत 2012 की जमाबंदी में रेखा पि0मु0 राजु दर्ज है। प्रकरण में यह तय किया जाना है कि वाद भूमि में उभयपक्षों में कितने हक व हिस्सा पाने की अधिकारी है तथा प्रकरण में खोलानाम जो पेश नही किया गया है वह भी वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा की खोलानामा विधिसम्मत है या नही वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की उल्लेखित की गई है यह विधि एवं तथ्यो का मिश्रित बिन्दु/प्रश्न है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जाना है। जब तक वाद भूमि में उभयपक्षों के हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखी जानी विधिसम्मत प्रतीत होती है ताकि वाद बाहुल्य को रोका जा सके। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 114/111 के ख0न0 104 की 6.5750 हैक्ट ख0न0 155 की 0.1280 हैक्ट ख0न0 195/2 की 3.5410 हैक्ट ख०न० 266/2 की 2.8830 हैक्ट भूमि कुल 4 खसरेजात की 13.1270 हैक्ट भूमि एवं रोही मोजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स० 55/52 के ख0न0 195/1 की 3.7180 हैक्ट भूमि व खसरा 266/1 की 9.4080 हैक्ट भूमि कुल 13.1260 हैक्ट भूमि अर्थात दोनो खसरेजात की कुल 26.253 हैक्ट भूमि न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24/1/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:19 IST
Reason: SelfAttested